'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

प्रकाशन तिथि- 15 अगस्त, 2014

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 17 ● अंक 18 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 1 से 15 अगस्त, 2014

एक सांसद के रूप में छाप छोड़ सकते हैं डॉ. उदित राज

एच. एल. दुसाध

मित्रों! परसों अर्थात् 1 अगस्त की शाम डॉ. उदित राज से मुलाकात हुई। वैसे कुछ सप्ताह पूर्व सांसद चुने जाने के लिए उन्हें फोन पर बधाई अवश्य दी थी किन्तु रूबरू मिलकर नहीं। दो सप्ताह पहले कुछ फुर्सत निकालकर उनके आवास पर गया था। वहां मुलाकातियों की इतनी भीड़ थी मानो डॉ. राज एक आम सांसद नहीं, मंत्री हों। बहरहाल उस दिन वह क्षेत्र में गए हुए थे, इसलिए जाना सार्थक नहीं हो पाया था। परसों फिर समय मिला और उनसे मुलाकात का एक और प्रयास किया। किन्तु इस बार भी वह अपने आवास पर नहीं थे, संसद भवन गए हुए थे। मैं 5 मिनट बाद निराश होकर चलने ही वाला था कि अचानक वह आ गए। मुझे देखते ही प्यार से पास बुला लिए और अन्दर अपने आफिस में लेकर आ गए। मेरी बधाई ग्रहण करने के बाद वह फ्रेस होने चले गए। 10-12 मिनट बाद लौटे फिर तो आधे घंटे तक सांसद के रूप में उनके अनुभव और वर्तमान दलित समस्यायों वार्तालाप चलता रहा। इस दौरान उनके पीए और ओएसडी भी आ गए।

डॉ. राज से मेरी बहुत कम मुलाकातें हुईं थी। इसलिए निकट से उन्हें देखने-सुनने का अवसर भी कम मिला था। ऐसे में दूर से उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित भी नहीं था। अतीत में तीन चार बार हमलोग एक साथ मंच भी शेयर किये थे। किन्तु पिछले वर्ष जेएनयू में आयोजित 'महिषासुर शहादत दिवस समारोह' में उनका अध्यक्षीय भाषण सुना तो उनके विषय में मेरी धारणा में भारी बदलाव आ गया। मंच पर उनके साथ मैं भी था, और वह भी थे (नाम नहीं लूँगा) जिन्हें वक्ता के रूप में कभी दस अटल बिहारी वाजपेयी के बराबर मानता था। वह महान वक्ता ही नहीं मेरी नजरों में इतिहास के अच्छे विश्लेषक भी थे। हालांकि पिछले कुछ वर्षो से उनकी घिसी-पिटी सोच से बहुत निराश भी रहा। उन्होंने महिषासुर पर बोलते हुए जो कुछ कहा, मुझे भारी तरस आया। किन्तु मुझे प्रोग्राम के अध्यक्ष डॉ. उदित राज से भी उम्मीद नहीं थी कि वह निर्दिष्ट विषय पर उनसे अच्छा बोल पाएंगे। किन्तु मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि डा. राज ने भरपूर आत्मविश्वास के साथ न सिर्फ विषय पर उनसे बेहतर बोला बल्कि थोड़ा विषयांतर करते हुए भूमंडलीकरण (LPG) पर उनकी सोच का खोखलापन भी उजागर कर दिया। उनकी यह बात ''दुसाध जी डाइवर्सिटी पर जो लगातार लेखन कर रहे हैं, उसी से एलपीजी का मुकाबला किया जा सकता है' -सुनकर थोड़ा और अच्छा लगा। उस आयोजन के एक महीने बाद ही उसी सभागार में 8 नवम्बर को आयोजित होने वाले 'आठवें डाइवर्सिटी डे' में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और वे आये भी।

मैंने उन्हें पहली बार अपने संगठन के मंच पर इसलिए आमंत्रित नहीं किया कि वे जेएनयू में मेरे लेखन की तारीफ किये। सच तो यह है कि महिषासुर शहादत प्रोग्राम में उन्होंने बड़े-बड़े नामों के बीच जिस गरिमा और आत्मविश्वास से अध्यक्षता किया, वह मेरी सोच से परे था। डॉ. राज वर्षो से सामाजिक आन्दोलनों और राजनीति में समय देने के बाद अब पूरी तरह मेच्योर और आत्म-विश्वास से लबरेज हो गए हैं। ऐसे व्यक्ति को अब बहुजन डाइवर्सिटी मंच की गरिमावृद्धि करनी चाहिए। इसलिए उन्हें 'आठवें डाइवर्सिटी डे' में सादर आमंत्रित किया और अगस्त, 2014 के शेष या सितम्बर के पहले सप्ताह में आयोजित होने जा रहे 'नवें डाइवर्सिटी डे' में भी उन्हें आमंत्रित करने के लिए कल फिर उनसे मिलने का प्रयास किया जो सफल रहा। लगभग सालभर बाद डा. राज से मिला तो उनकी सोच और आत्मविश्वास में और बढ़ोतरी पाया।

आत्मविश्वास से भरपूर डा. राज का सांसद के रूप में अनुभव सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वह सिर्फ सांसद बनकर संतुष्ट नहीं हैं, बल्कि इस रूप में एक खास पहचान बनाने के प्रति संकल्पित हैं। इसके लिए वह अपने क्षेत्र के लिए ऐसा काम करना चाहते हैं, जिससे मतदाताओं के बीच सीना तानकर जा सकें। मैंने पूछा बीजेपी में तो बड़े-बड़े नेताओं की भरमार है तथा आप सत्ता पक्ष के सांसद हैं, ऐसे में क्या दलितों के पक्ष में आवाज उठाने का अवसर पाए हैं? हाँ, कुछ न कुछ अवसर तो मिल ही जाता है, जवाब था डॉ. उदित राज का। बातें करते-करते उन्होंने दराज से एक पेपर निकाला और मुझे थमा दिया। संसद की गतिविधि से जुड़ा उस पेपर पर कुछ देर नजर दौड़ाने के बाद हाथ मिलाकर एक बार फिर उन्हें बधाई देने से खुद को नहीं रोक पाया। उन्होंने 23 जुलाई की शाम लोकसभा अध्यक्ष वित्तमंत्री का ध्यान करते हुए एससी और एसटी का प्लान बजट क्रमशः 16 और 7.5 प्रतिशत करने के लिए खींचा था। इससे भी बढ़कर उन्होंने यह सवाल उठाया था, 'क्या यह बजट राज्य सरकारों के माध्यम से खर्च किया जायेगा या केंद्र के द्वारा? उनका कई राज्य सरकारों के माध्यम से यह खर्च करने पर तीव्र आपत्ति थी। इल्जाम लगाया था, 'ये जो तमाम राज्य सरकारें हैं फ्यूडल हैं, एंटी दलित भी हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि एंटी रिजर्वेशन का काम सोशल और पालिटिकल आर्गेनाइजेशन करते हैं लेकिन वहां की सरकार ने किया है -how can we have faith in them? उनसे हमारा कोई विश्वास नहीं है। इसलिए यह पैसा सेन्ट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इम्पावरमेंट के थ्रू ही जाना चाहिए। 'उस दिन डॉ. राज ने ओबीसी कमीशन के विषय में भी

बेबाक टिपण्णी की थी। कहा था, 'OBC commission is toothless- OBC commission has to be empowered like SC/ST commission- I would request the Hon. Minister of social justice to do that- 'उस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा था- 'मोदी जी ने कहा था, My destiny is to do what could not be done. हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 मार्च को लखनऊ में कहा था कि आने वाला दशक दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का है। मैं समझता हूँ कि ऐसा होगा। लेकिन हमारे सामने बैठे मेरे साथियों ने 55 साल तक इस देश में राज किया है। आज तक हमें इस काबिल नहीं बनाया है बिना रिजर्वेशन इस संसद में पहुँच सकें।'

मित्रों, डॉ. उदित राज से हुई मुलाकात में उनके व्यक्तित्व के जिन अछूतों पहलुओं की झलक देखा, उससे लगता है अविराम आन्दोलन चलते हुए भाजपा के सौजन्य से संसद में पहुँचने वाले डॉ. राज को वंचित समाज के प्रति एक सांसद के रूप में अपनी जिम्मेवारियों का एहसास है और अपनी सीमाओं में रहकर उनकी समस्याओं को उठाने में वे पीछे नहीं रहेंगे। उनके मन में इन तबकों की बेहतरी की जो चाह है, वह सफल हो उसकी शुभकामना देते हुए मैंने उनसे विदा लिया।

डॉ. उदित राज द्वारा लोकसभा में 30 जुलाई को दिए गए भाषण के अंश

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिमी दिल्ली) : माननीय सभापति महोदय, मैं दिल्ली की बजट पर बोलने जा रहा हूं। मैं नॉर्थ-वेस्ट, दिल्ली से चुनकर आया हूं। मैं वहां के लोगों का धन्यवाद करता हूं। अगर, दिल्ली में सबसे पिछड़ा क्षेत्र कोई है, तो वह उत्तर-पश्चिम दिल्ली है, जहां से मैं चुन कर आया हूं। वहां पर मेट्रो नहीं है, जबकि मेट्रो फरीदाबाद और गुड़गांव तक पहुंच चुकी है। हमारे साथी बिल्डिंग बाय लाज की समस्या के बारे में कहने वाले ही थे, शायद वह नहीं कह पाए। गांवों में बिल्डिंग बाय लाज लागू करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनके पहले मैं बजट पर थोड़ा बोलना चाहता हूं। I would like to very briefly speak on its financial implications. हमारे माननीय वित्तमंत्री जी ने उन्हीं क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया है, जहां ज्यादा आवश्यकता है। पानी की समस्या है। He has not only paid full attention to it in the Delhi Budget, but in the General Budget also enough attention was paid by him and Rs. 5,000 was allocated for making water available to Delhities. सबसे ज्यादा झुग्गी-झोपड़ियों में पानी की व्यवस्था करने की जरूरत है। One more significant feature of the Budget is that क्लस्टर्स में, झुग्गी-झोपड़ियों में टॉयलेट्स की बहुत बड़ी समस्या है। कम्युनिटी टॉयलेट्स सारे जे. जे. कॉलोनियों में लगेंगे। I would like to thank the hon. Finance Minister for this. 1380 लो-फ्लोर की बसें चलेंगी और 400 क्लस्टर बसें होंगी। पहले से 1200 बसें चलती थी, अब 400 बसें और चलेंगी तो 1600 बसें हो जाएंगी। हालांकि यह रिक्वायरमंट को मीट आउट नहीं करता है, फिर भी, मैं समझता हूं कि It is a forward-looking and quite a progressive step, given the situation. हमलोगों को जो इनहेरिटेन्स में मिला है,

शेष पृष्ठ 4 पर...

क्या समान नागरिक कानून देश में लागू होना चाहिए ?

मनमोहन शर्मा

देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू किए जाने के बारे में मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद चर्चा शुरू कर दी है। लोकसभा में सांसद योगी आदित्यनाथ को केन्द्र विधि मंत्री ने ये आश्वासन दिलाया है कि सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करने के बारे में सर्व-सम्मति बनाने का प्रयास करेगी। भाजपा शुरू से ही देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने के समर्थक रहा है। उनका तर्क है कि इससे राष्ट्रीय एकता की भावना में वृद्धि होगी और विभिन्न धर्मों के अनुयायी एक-दूसरे के नजदीक आ सकेंगे। देश की उच्चतम् न्यायालय भी केन्द्र सरकार को देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कानून लागू करने का निर्देश दे चुकी है। यह मामला काफी संवेदनशील है। अल्पसंख्यकों का एक वर्ग शुरू से ही इसका विरोध करता आ रहा है। इसलिए अभी तक केन्द्र में जो भी पार्टियां सत्ता में आई उनमें से किसी को भी कॉमन सिविल कोड लागू करने की हिम्मत नहीं हुई।

पुरानी यू.पी.ए. सरकार के विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने संसद में 2011 में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा था कि कॉमन सिविल कोड लागू करने से अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार की यह स्पष्ट नीति है कि इस मामले में कोई हस्तक्षेप न किया जाए। जब तक की अल्पसंख्यक स्वयं पर्सनल लॉ में संशोधन करने की मांग न करें। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में देश में कॉमन सिविल कोड लागू करने पर जोर देते हुए कहा था कि भाजपा का विश्वास है कि जब तक देश में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं किया जाता तब तक देश की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। देश की सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि देश में वर्तमान समय की आवश्यकताओं को समक्ष रखते हुए समान नागरिक कानून लागू किए जायें। चुनावों से पूर्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक उर्दू समाचार पत्र को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि संविधान इस बात पर जोर देता है कि देश में एक समान सिविल कानून लागू किए जायें। मगर इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि देश पर हिन्दुओं के कानून लादे जायें। मेरा मानना है कि हिन्दुओं से संबंधित कानूनों में वर्तमानकाल की आवश्यकताओं को देखते हुए काफी संशोधन करने की जरूरत है।

जहां तक कानूनी दृष्टिकोण का संबंध है भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 में सरकार को इस बात का निर्देश दिया गया है कि वह एक समान नागरिक कानून सभी नागरिकों के लिए लागू करे। इसके विपरीत मुस्लिम नेताओं का तर्क है कि उन्हें भारतीय संविधान की मूलभूत अधिकारों के तहत इस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि वह जिस धर्म में आस्था रखते हों उसके अनुरूप उन्हें अपना जीवन गुजारने की पूरी स्वतंत्रता है और सरकार को उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि सरकार को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और यदि भाजपा की सरकार ने इस संदर्भ में कोई प्रयास किया तो उसका डटकर विरोध किया जाएगा। मुस्लिम मजलिस मुशरावात के प्रमुख नेता सयैद शहाबुद्दीन ने भी इस बात पर जोर दिया है कि सरकार को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जमायत-ए-इस्लामी हिन्द के प्रमुख मौलाना जलालुद्दीन उमरी का कहना है कि इस्लाम में 1400 वर्ष पहले जो जन-जीवन गुजारने के नियम बनाए गए थे वे अपरिवर्तनशील हैं। इसलिए मोदी सरकार को देश के संविधान का सम्मान करते हुए इस तरह का विवाद शुरू नहीं करना चाहिए। देश के अन्य कई अल्पसंख्यकों जैसे पारसियों, सिखों और ईसाईयों के भी अलग पर्सनल लॉ हैं जोकि भारतीय लोकतंत्र की विविधता का प्रमाण है। इसलिए देश में समान नागरिक कानून लागू करना लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा।

इस तथ्य से कोई इंकार नहीं कर सकता कि गत डेढ़ सौ वर्ष के दौरान में अनेक बार हिन्दुओं, पारसियों और ईसाईयों से संबंधित अनेक कानूनों में केन्द्र सरकार ने हस्तक्षेप किया है। अंग्रेजों के शासनकाल में 1829 में सती पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी तरह से 1856 में एक कानून बनाकर हिन्दू विधवाओं को पुनः विवाह करने का हक दिया गया। जबकि 1866 में देशी ईसाई तलाक कानून बनाया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय तलाक कानून और भारतीय ईसाई विवाह कानून भी लागू किया गया। इसी तरह से पारसियों के विवाह और पैतृक सम्पत्ति कानून में भी अंग्रेजी काल में भी संशोधान किया गया था। देश की आजादी के बाद पंडित नेहरु के दबाव पर 1956 में हिन्दू कोड बिल बनाकर हिन्दू महिलाओं को तलाक प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद हिन्दू स्पेशल मैरिज एक्ट भी बना। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि हिन्दुओं और अन्य धर्मों के अनुयायियों ने समाज सुधार का जो अभियान चलाया था उसके तहत उन्होंने सरकार से अपने धर्म से संबंधित कानूनों में संशोधन करने का आग्रह किया था। दूसरी ओर मुसलमानों ने मोटे तौर पर अपने धर्म से संबंधित कानूनों में संशोधन का विरोध किया। मगर इसके बावजूद 1937 में भारत सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत एप्लीकेशन एक्ट) पारित किया। जिसमें मुसलमानों को यह अधिकार दिया गया कि वह तलाक, उत्तराधिकार, हब्बा, खुल्ला, गॉर्जियनशिप और वक्फ सम्पत्ति से सम्बंधित मामलों के बारे में काजियों की अदालतों से विवादों का फैसला करवा सकते हैं। इस कानून के तहत देश के मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों दारुल कजा या अमारत शारिया की अदालतों का गठन किया गया। इस समय देश में 150 से अधिक ऐसी अदालतें चल रही हैं जिनमें मुसलमानों के पर्सनल लॉ से संबंधित मामलों का निर्णय काजी इस्लाम धर्म के अनुसार करते हैं।

उस समय विवाद खड़ा होता है जबकि काजी की अदालत द्वारा दिये गये फैसले और देश के आम कानून में टकराव की स्थिति पैदा होती है। उदाहरण के रूप में 1985 में इंदौर की एक 60 वर्षीय तलाकशुदा महिला शाहबानो का मामला देशभर में चर्चा का विषय बना। इंदौर की एक सब-जज की अदालत ने उसके पूर्व पति को यह निर्देश दिया था कि वे अपनी तलाकशुदा पत्नी को प्रति माह सवा सौ रुपये मासिक गुजारा भत्ता दे। इस फैसले को शाहबानो के पति ने अदालत में चुनौती दी। उसका कहना था कि शरिया कानून के अनुसार, उसके लिए अपनी पत्नी को मात्र तीन माह तक ही गुजारा भत्ता देना अनिवार्य है। इसके बाद उसकी कोई जिम्मेवारी अपनी पत्नी के प्रति नहीं रह जाती। ये मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा और उच्चतम न्यायालय ने इंदौर की अदालत के फैसले को बहाल रखा। इस फैसले क खिलाफ देशभर के कट्टरपंथी मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध को देखते हुए राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में भारतीय संसद से एक कानून पारित करवाया। जिसके तहत मुस्लिम महिलाओं को 125 धारा के तहत गुजारा भत्ता देने की शर्त से मुक्त कर दिया गया।

भारतीय कानून के अनुसार सभी नागरिकों की बहु-पत्नी रखने पर प्रतिबंध है। मगर ये कानून मुसलमानों पर लागू नहीं होता। क्योंकि शरा के अनुसार, प्रत्येक मुसलमान को एक साथ चार पत्नियां रखने का अधिकार है।

एक अन्य विवादित मुद्दा तीन तलाक का है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार कोई भी पति अपनी पत्नी को एक साथ तीन तलाक देकर उसे विवाह बंधन से मुक्त कर सकता है। संसार के मुस्मिल जगत के अधिकांश देशों में तीन तलाक को गैर-कानूनी घोषित किया जा चुका है। मगर भारत के मुसलमान इसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

भारत के कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति की सम्पत्ति उसकी पुत्री का हक उसके पुत्र के बराबर होता है। जबकि इस्लामिक कानून में किसी लड़की को उसके भाई की तुलना में सम्पत्ति का एक तिहाई भाग ही प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इस्लामिक कानून में महिला की गवाही को पुरुष की गवाही के बराबर नहीं माना जाता। इस्लामी कानून के अनुसार, कोई महिला किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती और न ही उसे अपनी सम्पत्ति में से हिस्सा ही दे सकती है। तलाक के मामले में भी मुस्लिम मर्दों और महिलाओं के अधिकारों में भी भारी अंतर है। मुस्लिम महिला को अपने पति को तलाक देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। केवल विशेष परिस्थितियों में खुल्ला ही सकती है।

प्रश्न यह पैदा होता है कि यदि देश के कानून की नजर में सभी नागरिक एक समान हैं तो फिर उनके बीच कानूनी दृष्टि से किसी भी तरह का भेदभाव करना कहां तक उचित होगा ? उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू ने हाल में ही यह स्वीकार किया है कि मुस्लिम सिविल लॉ महिलाओं के खिलाफ है। इसलिए उन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की अध्यक्ष जाकिया सोमन का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की बजाय देश में कॉमन सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए ताकि मुस्लिम महिलाओं को भी हिन्दू महिलाओं के समान अधिकार प्राप्त हो सके। (साभार : पंजाब केसरी)

दिल्ली बजट पर लोकसभा में डॉ. उदित राज का भाषण

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2014 : दिल्ली बजट पर लोकसभा में डॉ. उदित राज ने माननीय वित्तमंत्री को धन्यवाद करते हुए एवं अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बजट में खासतौर पर उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है जहां पर असल में इसकी आवश्यकता है। वित्तमंत्री जी ने न केवल दिल्ली के बजट में ही बल्कि केंद्रीय बजट में भी दिल्ली के विकास पर खास ध्यान दिया है। दिल्ली में जल संकट को हल करने के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन लोगों के लिए राहत लेकर आया है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, रोहिणी में एक मेडिकल कालेज के स्थापना का प्रस्ताव शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को सशक्त बनाएगा। यह बड़े ही शर्म की बात है कि कांग्रेस का सफाया होने के बाद ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के खुलने की बारी आयी है।

डॉ. उदित राज ने माननीय वित्तमंत्री से आग्रह किया कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र की मांग है कि मेट्रो का विस्तार नांगलोई, कुतुबगढ़, बवाना आदि जगहों तक किया जाए। यदि मेट्रो का विस्तार फरीदाबाद, पलवल, हरियाणा तक किया जा सकता है तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली में इसका विस्तार क्यों नहीं किया जा सकता ?

उन्होंने आगे कहा कि लाल डोरा क्षेत्र का विस्तार 35 साल पहले किया गया था लेकिन आज यहां जनसंख्या दोगुनी हो गई है और लोग बहुत तंग जगह में रह रहे हैं। इसलिए लाल डोरा क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा लगभग 800 कालोनियों को नियमित करने के संबंध में उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया था कि यदि कॉलोनियों को नियमित नहीं किया जाता है तो भी वहां बुनियादी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को जन्म लेने का अधिकार है तो उन्हें रहने का भी अधिकार है। हमारे क्षेत्र में काफी खाली जमीनें है जहां पर विदेशी निवेश की काफी गुंजाईश है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं वह इस मामले पर ध्यान दें और खाली पड़े जमीनों को उपयोग में लाया जाए।

उन्होंने अंत में कहा कि 20 नए प्रस्तावित स्कूल, 1380 नए लो फ्लोर बसों की योजना, जे. जे. कॉलोनी में कम्यूनिटी शौचालय की स्थापना दिल्ली के लोगों को काफी फायदे देगा और दीर्घकालिक विकास के पथ की ओर हमें ले जाएगा।

डॉ. उदित राज ने क्षेत्र में पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक

नई दिल्ली, 08 अगस्त, 2014 : आज डॉ. उदित राज ने अपने आवास टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली में पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड और पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। डॉ. राज ने अधिकारियों को पाइपलाइनों के रख-रखाव, लीकेज की समस्याओं का समाधान, भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की जांच एवं अन्य शिकायतों को दूर करने के लिए सख्त निर्देश दिए।

बवाना से विधायक श्री गगन सिंह ने क्षेत्र में भारी लीकेज होने से तालाब का रूप धारण करने का मुद्दा उठाया। इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए डॉ. उदित राज ने अधिकारियों से पिछले एक साल में पानी से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के रख-रखाव पर खर्च के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। उन्होंने अधिकारियों से अगले एक महीने में सेवा देने वाले पानी के टैंकरों की सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा जिससे वह भी व्यक्तिगत रूप से पानी के टैंकरों से संबंधित समस्याओं की निगरानी कर सके।

श्री आर. एस. नेगी, मुख्य अभियंता, जल परियोजना, श्री आर. एस. मीणा, मुख्य अभियंता, पश्चिम, दिल्ली जल बोर्ड सहित कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। इस बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के 18 अन्य वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्र के पार्षद और डॉ. उदित राज के कार्यालय के वरिष्ठ स्टाफ सदस्य श्रीमती रेखा वोहरा और श्री सी.पी. सोनी ने हिस्सा लिया।

यह बैठक अपने क्षेत्र में मुलभूत सुविधाओं को बहाल एवं समस्याओं को दूर करने की योजना का हिस्सा है।

ईश्वर, लड़की और बलात्कार

दिनकर कोलते

मैंने एक दिन बरेली में बहुत शोरगुल होते सुना। मैं सो रहा था, किन्तु उस लाउडस्पीकर के शोर से मैं सो नहीं सका। सोचा क्यों न देवी साध्वीजी प्रवचन दने बरेली में आयी हैं, उसका सत्संग सुना जाये? मैं डायरी और लेकर सत्संग स्थल पर पहुंचा। पूरा प्रवचन जिन बिन्दुओं पर केंद्रित था, वे हैं :- 1. ईश्वर सर्वव्यापी है। 2. ईश्वर सर्व शक्तिमान है। ईश्वर सर्वज्ञाता है।

एक समाचार अमर उजाला अखबार में छपा था कि, भोपाल में कन्या विद्यालय डिग्री कॉलेज के सामने एक बी.ए. तृतीय वर्ष की छात्रा को सात गुण्डों ने दौड़ा-दौड़ाकर कपड़े फाड़ें और बारी-बारी से सरेआम उसके साथ बलात्कार किया। सारी भीड़ मूकदर्शक बनकर देखती रही। पीड़ित लड़की को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना पढ़कर मुझे आशंका होने लगी और मैं प्रवचनकर्ता के बताये अनुसार हाइडिल गेस्ट पहुंचा और अपना नाम लिख्कार मिलने हेतु दिया। 15 मिनट बाद मेरी बुलाहट हुई। मैं अन्दर गया। साध्वी जी को अभिवादन करके बैठ गया। देवी साध्वी देखकर बोली, ''अरे भन्तेजी, क्या आपने भी मेरा प्रवचन सुना था? बताईये क्या शंका है? ईश्वर सर्वव्यापी है? साध्वी जी ने कहा, मेरा प्रवचन इन्हीं तीन बिन्दुओं पर केंद्रित था। उन्होंने कहा इसमें कोई शंका है?'' मैंने कहा ''जब मैंने सत्संग सुना तो कोई मुझे शंका नहीं थी। लेकिन आज के अमर उजाला अखबार पढ़कर मुझे शंका पैदा हो गई। मैं 'अमर उजाला' पेज-6 पर छपी खबर को पढ़ने लगा। साध्वी जी ने कहा इस खबर का मेरे प्रवचन से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसी खबरें तो रोज अखबार में छपती है।

मैंने कहा, बहनजी आपने ही तो अपने प्रवचन में कहा था कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अर्थात् उस घटना के समय वह सड़क पर उपस्थित था। ईश्वर सब कुछ जानता था कि यह घटना घटनेवाली है और ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर ने फिर भी इस घटना को नहीं रोका।

इस संबंध में मैं आपसे तीन प्रश्न पूछता हूं। ईश्वर उस लड़की के अंदर था तो क्या वह उस लड़की के साथ बलात्कार करने का आनंद ले रहा था। ईश्वर उस भीड़ के अंदर था तो क्या भीड़ के द्वारा करते देखने का आनन्द ले रहा था? ईश्वर उस समय क्या कर रहा था?

साध्वी जी मेरे प्रश्नों को सुनकर दंग रह गयी। कोई जवाब उसके पास नहीं था। सर्दी के मौसम में भी बोतल खोलकर पानी गट-गट पी गई व काफी देर खामोश रही? तब मैंने साध्वी को ध्यान दिलाया कि बहनजी, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा में बैठा हूं। अंत में बहनजी ने कहा, ईश्वर केवल आस्था का विषय है। मैंने वहां बैठे लोगों से कहा, देखो भाईयों, यह मेरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा है और दूसरे हाथ में सौ का नोट। आप किस पर आस्था रखेंगे? लोगों ने कहा कि सौ रुपये के नोट से हम कुछ खरीद सकते हैं और सादा कागज से नहीं। इसी तरह हमें तो आस्था उसी से रखना होगी जिसका कोई मूल्य है। कोई कार्य की उपयोगिता हो। ईश्वर तो कोई कार्य करता नहीं तो उसमें आस्था क्यों रखें? यह सुनकर सारे लोगों का दिमाग घूम गया और रातभर का सुना साध्वी का प्रवचन चकनाचूर हो गया।

(जहां तक मैं जानता हूं वह साध्वी और कोई नहीं बल्कि ऋतंभरा नाम की संन्यासनी हो सकती है। जब वह भाषण देती थी तो दलितों और मुसलमानों के लिए गालियों का इस्तेमाल करती थी। धर्माध हिंदू उसका आग लगाऊ भाषण सुनकर तालियां बजाते थे। तब वह उनकी जेबें टटोलती थीं और भरपूर पैसा उसे मिलता था। आज कल वही साध्वी एक टी.वी. चैनल से जुड़ी है।-संपादक)

बुद्ध के उपदेश

एक शिष्य ने पूछा-बहुत से शास्त्र हैं, बहुत से शास्त्रकार हैं और बहुत से वाद प्रचलित है? इन सबके बीच में झूठा-सच का निर्णय करने वाला निर्णायक कौन है?

बुद्ध ने कहा-अपनी बुद्धि और विवेक ही निर्णायक है। अनेक वादे की जांच-परख करें। उनमें जो एक सत्य हो उसे ग्रहण करना चाहिए।

क्या गंगा स्नान से पाप मुक्त होते हैं?

श्रावस्ती के सेठ अनाथपिंडक के घर एक दासी पुत्री थी। उसका नाम पुण्णिका था। अनाथपिंडक के परिवार में बुद्ध भोजनदान ग्रहण करने के लिए अनाथपिंडक के घर आते थे। वह बहुत सारी बातें सीख गई और वैसा ही आचरण करने लगी। पुण्णिका भिक्खुणी नहीं थी परंतु बुद्ध वचन से प्रभावित थी।

पुण्णिका पानी के लिए हर दिन नदी जाती थी। एक बार एक ब्राह्मण को कड़ी सर्दी में स्नान करते हुए देखा। इसके बाद वह ब्राह्मण से बोली, ''अरे ब्राह्मण! तुम किसके भय से भयभीत होकर इस कड़ी सर्दी में भी गहरी नदी में उतरते हो और कांपते हुए शरीर से निरंतर सर्दी की कठिन पीड़ा को क्यों सहते हैं।' ब्राह्मण ने उत्तर में बोला- हे पुण्णिके! क्या तु नहीं जानती कि मैं पाप कर्मों के फल का अवशेष करने के लिए ही यह कुशल कर्म करता हू। युवा व वृद्ध मनुष्य जो पाप कर्म करता है, वह गंगा स्नान शुद्धि से पाप सबसे मुक्त हो जाता है। पुण्णिका ने कहा- गंगा स्नान शुद्धि से पाप मुक्ति का अज्ञानी मूर्ख के प्रति उपदेश है। यदि गंगा जल से ही शुद्धि होती, तब मेंढक, कछुए, जल के सर्प, मगर, मछली और अन्य जलचरों का स्वर्ग में जाना सुनिश्चित है। यदि गंगा जल स्नान से पाप मुक्ति होती है, तो फिर भेड़-बकरी, सुअर और मृग मारने वाले या उनका मांस बेचने वाले कछुए, चोर, जल्लाद या अन्य पापी लोग, सभी पाप कर्म करने के बाद गंगाजल में स्नान कर क्या पाप मुक्त नहीं हो जायेंगे?

फिर भी यदि इस नदी में नहाने से पूर्व के पाप कर्म धुल जाते हैं तो क्या फिर उनके साथ ही तुम्हारे पुण्य कर्म भी न धुल जायेंगे? अरे मुर्ख ब्राह्मण! फिर तुम्हारे पास क्या शेष रहेगा? ब्राह्मण ने कहा, ''मैं कुमार्ग में पलित था, तुने मुझे श्रेष्ठ मार्ग में लगाया। अतः बहन मैं तुझे अपना वस्त्र दान करता हूं।' पुण्णिका ने कहा- ये तुम्हारे वस्त्र तुम्हारे पास ही रहने दो। यदि दुःख से तुम्हें कोई भय हो तो चोरी छिपे पाप मत करना। तुम चाहे कहीं भी चले जाओ या भाग जाओ पर दुःख से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। यदि दुःख से तुम्हें भय है तो तुम उन अद्वितीय गुणों वाले बुद्ध धम्म और संघ के शरण में जां सदाचरण का पालन कर, अवश्य ही इस प्रकार पुण्णिका ने ब्राह्मणी पाखंड को न केवल निरर्थक बताया बल्कि ब्राह्मणों द्वारा धर्म के नाम पर पाखंड का समर्थन करने वाले उदलद्रिक नामक ब्राह्मण को करारा जवाब दिया। पुण्णिका को ऐसा करारा जवाब देने का बल बुद्ध के कारण ही प्राप्त हुआ।

(बुद्ध के उपदेश पुस्तक नांदेड़ (महाराष्ट्र) से साभार)

...मगर सही आरक्षण हमें आन्दोलन से मिलेगा-उदित राज

नेतराम ठगेला

केन्द्रीय सचिवालय एस.सी./एस.टी. एम्पलाईज एसोसिएशन की ओर से दिनांक 07 अगस्त को कान्सटीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में एक सभा का आयोजन सुप्रीम कोर्ट केस के नायक श्री रोहताश वन्खड की अध्यक्षता में किया गया। श्री वन्खड ने बताया कि 1997 से लिमिटेड डिर्पाटमेन्टल परीक्षा मे आरक्षण नही दिया जा रहा था। हमारे एसोसिएशन ने यह केस लड़ा और आप सबके सहयोग से हम यह केस जीते है।

डॉ. उदित राज, सांसद एवं अध्यक्ष, परिसंघ ने कहा कि न्यायपालिका अक्सर हमारी बात सुनती ही नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने पर उन्होंने श्री रोहताश वन्खड व उनकी टीम की सराहना की। इस सन्दर्भ में उन्होंने बताया कि 1999 में सिनियरिटी के केस को लड़ा। श्री चौहान जी वहां थे मगर 20 दिन तक नियमित सुनवाई के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। हमने सुप्रीम कोर्ट का घेराव भी किया। यहां हम हमारे अधिकार को कोर्ट के द्वारा छीने जाने फिर उसे दिये जाने की सफलता का जश्न मना रहे है। केस जीतने पर बधाई देते हुये उन्होंने कहा कि एकाध केस जीतने पर बहुत कुछ नहीं मिलेगा। हमारी जीत आन्दोलन से ही मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम वोटों से जीतकर आते है आप परीक्षा से उत्तीर्ण होकर आते हैं। सांसद और आप लोग हम दोनो ही अपने समाज के प्रति उत्तरदायी हैं। आओ, मिलकर संघर्ष करे। उन्होंने आगे बताया कि आज तक अनुसूचित जाति/जनजाति के बजट पर संसद मे बहस ही नहीं हुई। हमने अपने नेता से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व चार मंत्रालय है उन पर बहस ही पूरी नहीं होगी। इसलिए इसे पास करा लिया जायेगा। बजट पर चर्चा करने के लिए हमने जोर दिया और जो बजट में 8 प्रतिशत से दिया जा रहा है उसे आबादी के आधार पर 16 प्रतिशत दिया जाना चाहिए। चूंकि कांग्रेस के राज में ऐसा किया जा रहा है। हम आगामी समय में पूरा हिस्सा दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होने 16 और 17 अगस्त को परिसंघ के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेमीनार में समस्याओं का समाधान कैसे हो इस पर चिन्तन किया जायेगा। साथ ही सभी से आने का आग्रह किया।

इससे पहले कार्यक्रम के प्रारम्भ में श्री नेतराम ठगेला, महासचिव परिसंघ एवं अध्यक्ष ऑल इंडिया डिफेन्स/ सचिवालय फेडरेशन ने विस्तृत रूप से विचार रखते हुये बताया कि ब्यूरोक्रेसी व न्यायपालिका के कारण पांच आरक्षण विरोधी आदेश आये। ए. एफ.एच.क्यु. और सचिवालय के साथियों युनाईटेड फ्रंट के तहत आन्दोलन चलाया। सफलता न मिलने पर डॉ. उदित राज (तब राम राज) के नेतृत्व में परिसंघ बनाया। प्रसन्नता की बात है कि डॉ. उदित राज के नेतृत्व में फेडरेशन और परिसंघ ने मिलकर काफी हद तक आरक्षण बचाने का कार्य किया। हमारे कारवां में हमेशा श्री रोहताश व उनके साथियों का हमें सहयोग रहा। हर्ष की बात है कि लम्बे त्याग और तपस्या के बाद ही लिमिटेड डिर्पाटमैन्टल एक्जाम में आरक्षण के लिये संघर्ष किया और यह केस जीत लिया। मगर यह न्यायपालिका है पता नहीं कौन सा कोमा या फुलस्टाप इसकी व्याख्या ही बदल दे। इस सन्दर्भ में उन्होंने नागराज केस का जिक्र किया। उन्होंने आगे कहा कि देश भर के कर्मचारी नेता दिनांक 16 व 17 अगस्त को अपनी समस्याओं पर गहन चर्चा करके एक मजबूत कार्य योजना बनायेंगे। आपसे भी आग्रह है कि इस केस को इम्पलीमेंट कराने के साथ-साथ बृहत दलित आन्दोलन का हिस्सा बनने के लिये इसमें भागेदारी निभाये।

इस अवसर पर श्री यशपाल, महासचिव सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएट एसोसिएशन ने एक फिल्म के माध्यम से बाबा साहेब के आरक्षण से सम्बन्धित भाषण, मूल अधिकारों में आरक्षण व छूट के प्रावधान आदि को विस्तृत से समझाया। श्री संजय पासवान, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, बी.जे.पी. ने पक्ष और विपक्ष दोनों के मिलकर काम करने पर बल दिया।

श्री अर्जुन मेघवाल, सचेतक, बी.जे.पी. संसदीय दल ने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति का संसदीय फोरम के समक्ष पदोन्नति में आरक्षण, आरक्षण बिल, निजी क्षेत्र में आरक्षण, न्यायायिक आयोग आदि के काम पेन्डिग है। कोई भी काम बिना दबाब समूह के नहीं होता इसलिए इस फोरम को पुर्नगठित करके इसे प्रेशर ग्रुप के रूप में विकसित किया जायेगा।

श्री मनोज राजौरिया, सांसद ने कहा कि हमें दलित होने के कारण कदम-कदम पर अपने को सिद्ध करना पड़ता है। हम लिखित परीक्षा में 80-90 प्रतिशत अंक लाते थे मगर वाईवा में 50 प्रतिशत देने पर भी लगता था कि वे हम पर अहसान कर रहे हैं। मगर हमे विपरीत स्थिति में घबराना नहीं चाहिए बल्कि और अधिक कान्फीडेन्स से कार्य करना चाहिए। उन्होंने सफलता के लिए सामान्य का दिल भी जीतने का आग्रह किया।

श्री वीरेन्द्र कश्यप, सांसद और प्रवीण राष्ट्रपाल, सांसद, श्री भागीरथ प्रशादी, श्री पी.एल. मीना, सचिव पांडेचरी सरकार श्रीमति देवयानी खोबराखडे, भारतीय विदेश सेवा, श्री पी.एल. पूनिया, सचिव पांडेचेरी सरकार आदि ने विचार रखे।

फर्जी जाति प्रमाण पत्र से बन बैठे जज, आईएएस, इंजीनियर!

व्यापम घोटाले का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी विभागों में आईएएस, चीफ इंजीनियर, न्यायाधीश, डिप्टी कलेक्टर, इंस्पेक्टर बने अफसरों का मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले इन अफसरों के खिलाफ जांच में सरकार की जांच एजेंसियों और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी करने वालों की जांच के लिए राज्य स्तर पर छानबीन समिति गठित की गई है। लेकिन इस समिति की कई महीने से बैठक ही नहीं हुई है।

इन विभागों में काम कर रहे हैं फर्जी

मंत्रालय में जीएडी, गृह विभाग के साथ ही लोक निर्माण, जल संसाधन विभाग, एनवीडीए, आबकारी, संचालनालय कोष एवं लेखा, एमपी हाउसिंग बोर्ड न्यायालय, परिवहन, जिला पुलिस बल, आदिम जाति कल्याण, बीएचईएल, राजस्व, उद्योग विभाग, विकास आयुक्त कार्यालय, पशु चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, विभिन्न बैंकों, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल में भी कई लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इसी तरह कईयों ने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, आयकर विभाग, सुरक्षा नेवी, आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, रेलवे तथा भारतीय खाद्य निगम तक में इन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली है।

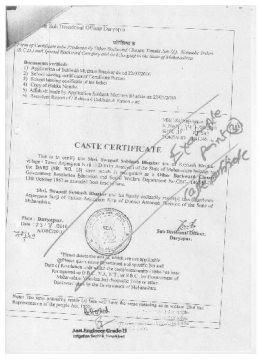
CASTE CERTIFICATE

कैसे होती है फर्जियों की जांच : राज्यस्तरीय छानबीन समिति फर्जी जाति प्रमाण पत्रों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए आदिवासी आयुक्त तथा अनुसूचित जाति आयुक्त कार्यालय द्वारा उक्त प्रमाण पत्र जारी होने की पुष्टि कलेक्टर के माध्यम से की जाती है। साथ ही पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर उस व्यक्ति की जाति, कितने वर्षो से निवासरत है, पूर्व में उसकी क्या जाति थी, इसकी सत्यता प्रमाण पत्र रिपोर्ट मांगी जाती है, परंतु पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में ऐसे पत्रों का सालों से कोई छानबीन नहीं की जा रही है।

इतने हैं फर्जी : वर्तमान में आदिवासी के नाम पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने वालों के 550 मामले तथा अनुसूचित जाति के नाम पर प्रमाण पत्रों से संबंधित 221 मामले एसपी दफ्तरों में धूल खा रहे हैं। इनमें आईएएस, चीफ इंजीनियर, न्यायाधीश, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, सहायक संचालक जैसे पदों पर काम कर रहे अफसरों से जुड़े मामले हैं।

इनकी भी रिपोर्ट मांगी : कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संचिता बारई, चिकित्सक अमित सिंह राय, चिकित्सक डॉ. वर्षा धाकड़, सहायक अभियंता दुर्गा प्रसाद अनुरागी, कार्यपालन यंत्री सिद्ध गोपाल, सुपरवाइजर कौशल्या प्रजापति, एडीपीओ जितेंद्र प्रजापति, इंजीनियर ललित बेगड़, कृषि विस्तार अधिकारी शिवास दहिया, टिकट कलेक्टर हरीश प्रजापति, मंडल संयोजक ज्वाला प्रसाद, डॉक्टर फूलचंद अहिरवार, व्यवहार न्यायाधीश उमाशंकर कुम्हार, न्यायाधीश अखिलेश कुमार धाकड़, नायब तहसीलदार अशोक कुमार मोर्य, कार्यपालन यंत्री विजय सिंह, अधीक्षक शाला शाक्यवार, राजस्व निरीक्षक के. के. चक्रवर्ती, डिप्टी कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, संयुक्त संचालक डॉ. ओ. पी. ओड़, सहायक यंत्री मनोहर लाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरजीत सिंह आदि के नाम शामिल हैं। इनके बारे में विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों से रिपोर्ट मांगी गई है, परंतु अभी तक नहीं मिली।

(साभार : सांध्य दैनिक 6 पीएम)

शेष पृष्ठ 1 का...

डॉ. उदित राज द्वारा लोकसभा में 30 जुलाई को दिए गए भाषण के अंश

उसको हमलोग सडेनली क्योर नहीं कर सकते हैं, दिल्ली को दुनिया का सबसे सुन्दर शहर नहीं बना सकते हैं। This will take some time.

Of course, 20 new proposed schools is a welcome step. It depicts that willingness is there. I would like to thank the hon. Finance Minister for providing my North-West Delhi Constituency a medical college with super-speciality status. मैं उनका आभारी हूं कि बहुत दिनों के बाद दिल्ली में एक मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। What was the pace of development during the Congress Government? हमारे सामने के जो साथी हैं, वे खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि इतने सालों के बाद मेडिकल कॉलेज खुलने की बारी आई है, अगर ये रहते तो शायद इसकी बारी नहीं आ सकती थी। इन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 3702 करोड़ रूपए का बजट में एलोकेशन किया है। मेरा ख्याल है कि यह लुकिंग फारवर्ड है और पिछले वर्ष से ज्यादा दिया गया है। मुनक से हैदरपुर तक पानी का जो चैनल बनना है, इसके लिए बजट में काफी कुछ किया गया है। There is a proposal to make pucca parallel channel from Munak to Haiderpur functional after resolving the issues with Haryana, and very soon we will be getting safe water for meeting the needs of nearly 35 lakh people. 35 लाख जो दिल्लीवासी हैं, हम उनकी नीड जल्दी पूरा करने जा रहे हैं।

(s2/1615/nsh-sh)

इसके अलावा हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बल्कि पूरी दिल्ली की भी समस्या है। वहां ज्यादातर रूरल एरिया है। वहां के गांव वाले सोचते हैं कि दिल्ली सरकार या दिल्ली के इलिट रूरल बॉयस्ड है। इसलिए गांव पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह हमारी गलती नहीं है, प्रिवियस सरकारों की गलती रही है। मैं इसके साथ सहमत भी हूं। गांव में इतनी बुरी हालत है कि अगर टैंकर से पानी न पहुंचे तो लोग पानी नहीं पी पाते। एक हफ्ते में एक बार टैंकर जाता है। वे उसी से अपना निर्वाह करते हैं।

मैं मेट्रो के बारे में जिक्र कर रहा था। मेट्रो फरीदाबाद, गुड़गांव और पलवल तक जा रही है। क्या मेट्रो नरेला तक नही जा सकती, कुतुबगढ़, बवाना तक नहीं जा सकती? This part is completely neglected. I would therefore suggest to the hon. Finance Minister to consider this demand of rural Delhi. इसके अलावा लाल डोरा का क्षेत्र 35 साल पहले बढ़ा था। पापुलेशन मल्टीप्लाई हो गई है। They are really living in very bad conditions and in very congested houses. लाल डोरा के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाना चाहिए जो अभी तक नहीं बढ़ा है। पापुलेशन लगभग दुगुनी हो चुकी है।

इसी तरह किसानों की जो लैंड एक्वायर हुई है, उन्हें alternative plot in lieu of land acquired has not been given. मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह दिया जाना चाहिए। Builders or the contractors acquire huge tracts of land with the condition that houses would be provided to the Economically Weaker Sections (EWS) of the society. सारे बिल्डर्स की जांच की जानी चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का पूरा गड़बड़झाला है। गरीबों को नहीं दिया जाता। बड़े-बड़े बिल्डर्स हैं। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह करप्शन काफी समय से चल रहा है।

हमारे साथी रमेश बिधूड़ी जी सेक्शन 81 पर बोलना चाह रहे थे। सेक्शन 81 में दिया गया है कि अगर किसान तीन साल तक लैंड इस्तेमाल नहीं करता तो the Government takes it back. किसान ऐसी परिस्थिति में हैं कि वहां कल्टीवेशन नहीं कर सकते। उनकी लैंड जबरन छीन ली जाती है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा अन्याय है। इस सेक्शन में परिवर्तन होना चाहिए। There are really anguished. वे सोचते हैं कि हम भारत में रह रहे हैं, यहां सांसद है, नई दिल्ली है, करोल बाग है। यह इंडिया है। उनमें जो भावना है, उसे भी दूर किया जा सकेगा। I propose one thing. दिल्ली के चारों तरफ एक रिंग रोड बननी चाहिए। It is concerned with the Government of India and the Ministry of Surface Transport because अगर दिल्ली के अंदर का लोड कम करना है, It is overcrowded. अगर आप कभी मयूर विहार, यमुना पार होंगे तो आपको एक-डेढ़ घंटा लगा होगा। मीटिंग में देर से पहुंचे होंगे। मैं समझता हूं कि इसका सॉल्यूशन यही है कि दिल्ली की पेरीफरी में एक रिंगरोड बनना चाहिए। I find that as the only solution. Otherwise, there is no alternative. I will conclude very soon.

लगभग 800 कॉलोनीज रेगुलराइज नहीं है। The High Court had given a very clear & cut verdict that even though the colonies have not been regularized, basic amenities should be provided in those colonies. बेसिक एमीनिटीज में पानी, सीवर, रोड आती है। वह भी नहीं दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी को इतने साल बीत गए, अगर जन्म लेने का अधिकार है तो क्या लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। रोज घर तोड़े जाते हैं। चोरी से घर बनाए जाते हैं, एमसीडी वाले पैसे लेते हैं, पुलिस भी उसमें मिली हुई है, कारपोरेटर मिले हुए हैं, नेता मिले हुए हैं। यह सिस्टम चला आ रहा है।

(t2/1620/rjs-smn)

जो बाहर से लोग आकर यहां काम करते हैं, where should they live, अगर उनको बच्चा पैदा करने का अधिकार है और सरकार उनका वह अधिकार नहीं छीनती है, तो उन्हें रहने के लिए कम से कम दो गज जमीन का अधिकार तो मिलना चाहिए। यह विरासत हमारे सामने के साथियों ने छोड़ी है। यह देखकर हमें बहुत तकलीफ होती है कि हम आजाद भारत में रह रहे हैं या नहीं।

आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी के कई काम छूट गये हैं। जैसे घेवरा में स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स है। उस पर काम किया जाना चाहिए। वहां एक सौ एकड़ से ज्यादा जमीन एक्वायर हो चुकी है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। मैं एक बात स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बारे में कहना चाहता हूं। जब दिल्ली में कांग्रेस सरकार थी, उस समय उन्होंने शेडयूल्ड कास्ट्स के डेवलपमेंट का 744 करोड़ रूपया कामनवेल्थ गेम्स में डायवर्ट कर दिया था। अब यह शेड्यूल्ड कास्ट्स और दिल्ली के डेवलपमेंट के बारे में क्या कह सकते हैं, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है।

महोदय, मेरे एरिया में there is abandoned land. I request the Central Government कि वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट का काफी स्कोप है। DDA ha acquired a vast tract of land but that land is lying vacant. यह देखकर बड़ा दुख होता है कि माइल्स एंड माइन्स जमीनें खाली हैं। वे न किसानों के पास है और न ही सरकार के पास है और वह कुछ कर नहीं पा रही हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : उदित राज जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : मैं भगवंत मान जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। ... (व्यवधान) (कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) मेरे जूनियर रहे हैं। वे भी आईआरएस थे और मैं भी आईआरएस था। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप किसी का नाम मत लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप किसी का नाम लेकर चर्चा मत कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि बिजली कंपनियां 50 प्रतिशत भ्रष्टाचार करती हैं, लेकिन जब सत्ता में आये तब इन्हें देखने को मिला कि 80 प्रतिशत बिजली कंपनियों की खरीद का ही दाम था। उस तरह से ये असत्य बोलकर सत्ता में आये और प्रूव नहीं कर पाये कि बिजली कंपनियां 50 प्रतिशत भ्रष्टाचार कर पायी हैं। अब ये क्या बोल सकते हैं?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

फिक्की सभागार में भाजपा की जीत पर कार्यक्रम संपन्न

यंग्स कल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 31 जुलाई, 2014 को फिक्की सभागार, मंडी हाउस, नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एवं डॉ. उदित राज की ऐतिहासिक जीत पर दिल्ली रंगमंच के गायक-गायिकाओं द्वारा मोहम्मद रफी साहब के गाये गीतों को गाकर खुशी का इजहार किया गया। उपस्थित दर्शकों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ-सबका विकास के फॉर्मूले के तहत वंचित एवं दलित समाज की भागीदारी का पूर्ण रूप से ध्यान रखेगी, दलित समाज का विकास होगा और देश का विकास होगा जिससे देश की एकता और अखंडता को मजबूती मिलेगी। जो कांग्रेस 60 साल के शासन काल में दलितों को विकास की मुख्यधारा से नहीं जोड़ पाई। जो कुछ नेताओं ने दलित एवं सवर्ण समाज के बीच में दूरी पैदा की है उसको निश्चित रूप से कम करने के ठोस कदम उठायेंगे जिससे हमारा समाज मजबूत होगा। कार्यक्रम के प्रबंधक एवं भाजपा नेता दलीप गहलोत सहित यंग कल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों एवं समस्त कलाकारों को कार्यक्रम की सफलता के लिए डॉ. हर्षवर्धन ने धन्यवाद दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय सांसद डॉ. उदित राज जी ने की और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत में दलित समाज का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को दलित विरोधी बताकर दलितों को गुमराह किया और देश पर कई दशकों तक शासन किया लेकिन दलितों के विकास के लिए कोई ठोस कार्य नहीं किए। अब दलित जागरूक हो चुका है। डॉ. उदित राज ने आशा व्यक्त कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दलित समाज को हर क्षेत्र में भागीदारी मिलेगी जिससे भारतीय समाज मजबूत होगा और देश महान और खुशहाल राष्ट्र होगा।

कार्यक्रम के दौरान मंच पर उपस्थित रवि टांक, रूबी यादव, कृषण लाल ढ़िल्लोढ़, दलीप गहलोत, विनोद कुमार, डॉ. उदित राज, डॉ. हर्षवर्धन, सतीश गौतम, रेणू गोयल, तेजपाल एवं अन्य

कार्यक्रम के आयोजक दलीप गहलोत, जो कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आशा व्यक्त करते हुए दिल्ली प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का इरादा जताया और कार्यक्रम में आए डॉ. हर्षवर्धन, डॉ. उदित राज, सतीश उपाध्याय, सतीश गौतम एवं विनोद कुमार सहित समस्त दर्शकों एवं कलाकारों का धन्यवाद किया एवं कार्यक्रम में आए अतिथियों को भगवान बुद्ध की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उभरते हुए कलाकारों, समाजसेवकों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।

इस मौके पर तेजपाल, सुनील गुप्ता, तुलसा कुन्द्रा, पारुल गुप्ता, अशोक टांक, आलोक सिंह, रेनु गोयल, सुन्दर चौहान, रवि टांक, अजय चौहान, तिलक बाबू, सुशीला चौहान, हरि सिंह मीणा, रवि शर्मा, मांशी गौतम, कर्मसिंह कर्मा, सत्यानारायण अहलावत सहित परिसंघ के सैकड़ों पदाधिकारी उपस्थित थे।

संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है

डॉ. उदित राज

संविधान के मुलभूत संरचना में हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति जनता के द्वारा किया जाने का प्रावधान था। इसका आशय यह हुआ कि जनता के द्वारा चुनी हुयी संसद की भागीदारी जजों की नियुक्ति में प्रमुखता से रही। संसद जनता की इच्छा से बनी संस्था है और इसलिए कहा जा सकता है कि पहले जनता की इच्छा का न्यायपालिका परिणाम थी। 1982 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फर्स्ट जज के मामले में यह निर्णय दिया गया कि राष्ट्रपति से सलाह का मतलब विचारों का आदान-प्रदान करना है न कि उसका निर्णायक भूमिका। यहीं से न्यायपालिका संसद को कमजोर करना शुरू करती है। 1993 में सेकेंड जज के मामले में हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति का अधिकार अपने पास ले लिया। 1998 में स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलोजियम को ही जजों की नियुक्ति का अधिकार होगा। अर्थात् पूरी तरह से विधायिका और कार्यपालिका के हस्तक्षेप से मुक्त हो जाना। दुनिया में यह अनोखा देश है जहां पर जज की नियुक्ति जज के द्वारा होने लगी जबकि संविधान में बहुत ही सावधानी से सरकार के तीनों अंगों जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच संतुलन बनाया गया था। किसी को भी एक-दूसरे के क्षेत्र में अधिग्रहण या हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया है। आश्चर्य इस बात का है कि दबे-कुचले, दलित, आदिवासियों एवं पिछड़ों के नेता भी चुप रहे कि यह कैसा अंधेर है कि एक न्यायाधीश ही दूसरे को न्यायाधीश बना रहा है। अमेरिका में सीनेट कमिटी जजों का चुनाव करती है और फिर सीनेट उसे पास करता है। इंग्लैंड में सेलेक्शन कमीशन के द्वारा जजों की नियुक्ति होती है। जर्मनी में संसद के दोनों सदनों के द्वारा नियुक्ति होती है।

जब नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पार्टी के भीतर जो चुनौती देने वाले थे उनको न्यापालिका द्वारा खत्म करने का काम शुरू किए। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी चर्चा रही कि नरसिंहा राव जी के द्वारा न्यायपालिका के माध्यम से अपने प्रतिद्वंदियों को कमजोर करने के हथकंडे से अंततः न्यायपालिका ही मजबूत होगी और अंततः यही हुआ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक नई अवधारणा के तहत पैदा हुई और जज मुकदमें तय करने के बजाय संवेदनशील मामले जो पीआईएल के द्वारा आते थे उस पर ज्यादा समय देने लगे और धीरे-धीरे ऐसा माहौल बन गया कि जजों और वकीलों का नाम अखबार में छपने लगा। अगर मीडिया में इनका नाम इतना न छपता शायद तो पीआईएल करने की होड़ जजों में न लगती। धीरे-धीरे न केवल राजनैतिज्ञ बल्कि कार्यपालिका भी डरने लगी और इसका दुष्परिणाम इतना हुआ कि सरकार में फैसले होने ही बंद हो गए। अधिकारी और मंत्री सोचने लगे कि बेहतर है कि फैसला ही न लिया जाए वरना न्यायपालिका हस्तक्षेप करके कुछ कर सकती है। जज तो इस तरह से व्यवहार करने लगे कि जैसे नीचे वो और ऊपर भगवान। गरीबों और दलितों के पक्ष में बने कानून को भी कमजोर करने लगे। धीरे-धीरे न्यायपालिका न केवल कानून का व्याख्यान करके लागू करने की संस्था बनी रही बल्कि कानून बनाने का ज्यादा हो गयी। कॉलोजियम की व्यवस्था आने से दलितों और पिछड़ों के खिलाफ केवल फैसले नहीं आने लगे बल्कि इन वर्गों के जजों की नियुक्ति भी नहीं के बराबर रह गयी।

श्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो कुछ क्षेत्रों में कर भी दिया है जैसे कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। 13 अगस्त, 2014 का दिन इतिहास में याद किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो हिम्मत दिखायी जो कांग्रेस और अन्य पार्टियां न कर सकी। यह भारत के प्रधानमंत्री और कानून मंत्री की कुशलता का परिचय है कि उन्होंने राज्यसभा में एक भी मत का विभाजन नहीं होने दिया। इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ट जज, कानून मंत्री और दो प्रख्यात व्यक्ति इसके सदस्य होंगे। अब अवसर दलितों एवं पिछड़ों को भी न्यायपालिका में प्रवेश करने को मिलेगा। हालांकि छः सदस्य के बजाय सात, आठ या नौ रखे जाते तो ज्यादा अच्छा होता ताकि आयोग में दलित, आदिवासी एवं पिछड़े भी सदस्य बन पाते। इन वर्गों को श्री नरेंद्र मोदी को कोटि-कोटि प्रणाम करना चाहिए कि उनकी सरकार ने ऐसा हिम्मत कर दिखाया। ऐसा बनाने की चर्चा तो बराबर होती रही लेकिन अब तक ऐसा संभव नहीं हो सका था।

शेष पृष्ठ 6 का...

भारतीय जनता पार्टी और डॉ. उदित राज

जा सकता है। इस चुनाव में मोदी ने अपने राजनीति के तहत एक लहर पैदा किया जिसको मोदी लहर कहते हैं। चुनाव का सर्वेक्षण करने वालों ने यह स्पष्ट ऐलान किया था कि कि लोगों का उत्साह मोदी के प्रधानमंत्री के सिवा दूसरा नहीं था। इसी परिप्रेक्ष्य में महात्मा गाँधी के पोता गोपाल कृष्ण गाँधी ने जो मोदी के विरोधी थे-मोदी को एक खुला पत्र में लिखा कि आपके लिए यह एक ऐतिहासिक विजय है जिसे देखकर दुनिया आश्चर्यचकित रह गई है। आपकी पार्टी के लोग भले न चाहे पर आपने जो प्रतिज्ञा लिया है, उसे अब पूरा करे। आपके मददगार आपके वादे को पूरा होते देखना चाहेंगे। आप संकल्प में महाराणा प्रताप बने और शासन के कार्य में अकबर बने। यदि आपके लिए आवश्यक है तो आप अपने दिल में सावरकर रहे लेकिन दिमाग से अम्बेडकर रहे।' देखना है कि मोदी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ब्राह्मणवादी एजेंडा को आगे बढ़ाती है या दलितों, पिछड़ों और गरीबों को समान नागरिकता का हैसियत दिलाने के लिए कठोर और प्रभावी नीतियों को लागू करने में सफल होती है। अगर दलितों को समान नागरिक बनाने की दिशा में उनका प्रयास रहा तो उदित राज का यह संकल्प कि दलितों को भाजपा में आना चाहिए, सही साबित होगा।

(ईश्वर प्रसाद, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं।)

भारतीय जनता पार्टी और डॉ. उदित राज

ईश्वरी प्रसाद

उदित राज ने एलान किया है कि दलित समुदायों के लिए समय आ गया है कि वे भारतीय जनता पार्टी में शरीक होकर अपनी मौलिक स्थिति और मानवीय गरिमा को हासिल करें। यह एक सनसनी खेज घोषणा है। प्रचलित धारणा है कि भाजपा का संवैधानिक आधार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसका लक्ष्य भारत में रूढ़िवादी-ब्राह्मणवादी प्रतिक्रियावादी राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करना है। यह दलित राजनीति के लक्ष्यों के विपरीत है जो श्रम की श्रेष्ठता को स्थापित कर देश के सारी आजादी को समान नागरिकता का दर्जा दिलाना चाहता हैं। इसलिए उदित राज के बयान को देश के ऐतिहासिक अनुभव की पृष्ठिभूमि में मूल्याँकन किया जाना चाहिए। दलितों के संदर्भ में देश को बहुत सारे कड़वे अनुभव हैं पहला, इस देश में दलितों को हजारों वर्षो से उपेक्षित और वंचित रखा गया है।

लेकिन जातिप्रथा आधारित जो घोषणा व्यवस्था कायम की गयी, वह अद्वितीय, स्थायी और कठोरतम है। आज तक इस व्यवस्था को तोड़ने की कोई निर्णायक क्रांति नहीं हुई। इसके खिलाफ होने वाले विद्रोहों को अपने में पचा लेने की भारत की जाति प्रथा में असीम क्षमता हैं। दूसरा, महात्मा ज्योतिबा फूले से चलता आ रहा दलित संघर्ष बाबा साहेब अम्बेडकर और कांशीराम से होता हुआ मायावती तक पहुँचा है। अम्बेडकर का दलित विद्रोह और कांशीराम का बहुजन आज ब्राह्मणवादियों के भरोसे मायावती का दलित हुजूम आगे बढ़ रहा है। दलितों की स्वतंत्र ताकत को मायावती ने समाप्त कर दिया है।

तीसरा, भाजपा की सरकार ने भी दलितों के लिए कुछ नहीं किया। वाजपेयी ने बैंकटैया कमीशन (2002) और भूरिया कमीशन (2004) गठित किया था। लेकिन इसके सिफारिशों पर कभी अमल नहीं हुआ। भाजपा जब सत्ता में आती है तो शहरों का विकास और परम्परागत समाज पर जोर दिया जाता है। इस तथ्यों के बावजूद भी उदित राज ने बीजेपी में भरोसा जताया है, इसका मुख्य वजह ऐसा लगता है कि ब्राह्मणवादी कारण होना तथा नरेन्द्र मोदी में नये राष्ट्र के निर्माण की संभावना मालूम पड़ रही है। जरूरत है उनके इस घोषणा पर गहराई से विचार हो।

उदित राज को शुरु से ही कुछ जाति समूहों के सामाजिक जीवन के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करने की तमन्ना रही है। इसीलिए उन्होंने सरकारी नौकरी के ऊँचे ओहदे को छोड़कर 2003 में एक 'इंडियन जस्टिस पार्टी' की स्थापना की। उन्होंने महसूस किया कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त किए बिना देश गौरवशाली नहीं हो सकता। यहाँ के मनीषियों ने ऐसा सामाजिक ढाँचा की स्थापना की जिसकी कई विशेषताएं हैं। शारीरिक श्रम की अवहेलना, समाज के क्रिश्चियन मानवीय समूहों को खास व्यवसाय से बाँधना और हर व्यक्ति के सामाजिक स्थान को उसके जन्म से निर्धारित करना। भारत के पारम्परिक जीवन में सड़ रही चीजें बदल सकती है लेकिन उसका ओहदा और व्यवसाय नहीं। दुनिया मे अन्याय के अनेक तरीकों का उदाहरण हैं लेकिन भारत के मनीषियों ने जिस सामाजिक व्यवस्था का अनुसंधान किया, वह चिर स्थायी और अद्वितीय है। उदित राज का संकल्प है कि श्रम की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया जाय और यहाँ की पूरी आबादी को लोकतंत्र के तहत समान नागरिकता का दर्जा दिलाया जाय। उनके लक्ष्यों को किसी के भाषा में यों रख सकते हैं-

हम मेहनतकश जग वालों से
अब अपना हिस्सा माँगेगे!!
एक खेत नहीं, एक देश नहीं,
हम सारी दुनिया माँगेगे!!

ऐसे विचार वाले उदित राज के वर्तमान राजनीतिक विचार को इसी परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया जाना चाहिए। कहाँ तक उनका विचार-दलितों को बीजेपी में शामिल कराने में सफल होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उदित राज एक देशभक्त है। इनकी देशभक्ति सुधारवादी, मानवतावादी और मेहनतकशवादी है।

लोकसभा के चुनाव अभियान के दौरान नरेन्द्र मोदी ने अपने राजनीतिक चरित्र का जो प्रदर्शन किया, उससे दलितों और पिछड़ों को एक नये भारत की उम्मीद बनी है। पिछले 70 वर्षो से चलता आ रहा भारत निचली जातियों के लिए एक झूठा सपना के सिवा कुछ नहीं था। दबे लोगों को एक नया भारत के निर्माण की सम्भावना मोदी के भाषणों में महसूस हुआ है। भारत के विकास के मानचित्र में किसानों द्वारा आत्महत्या, भष्टाचार का अन्तहीन स्वरूप आर्थिक गैरबराबरी का बढ़ता दायरा और काले धन का 5 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 50 प्रतिशत होना गरीबों और निचली जातियों के लिए शोषण का औजार बना हैं। मोदी के भाषणों ने दो स्तरों पर दलितों और पिछड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया। पहला, मोदी स्वयं ही मेहनतकश परिवार से आते हैं। चाय बेचकर जीवन-यापन करने वाला व्यक्ति दलितों के जीवन से एकाकार हो सकता है। काँग्रेस वालों ने चाय बेचने वाले की यह कहकर खिल्ली उड़ाई कि निचली जाति से आया व्यक्ति प्रधानमंत्री की गद्दी कैसे सम्भाल सकता है। कुछ नेताओं ने उसे नीच कहकर भी संबोधित किया।

दूसरा, मोदी ने अपने भाषणों में कहा कि आने वाला दशक दलितों और पिछड़ों के लिए सम्भावनाओं से भरा बना होगा। यद्यपि भाजपा के घोषणा पत्र में इस आशय पर कोई जोर नहीं था। दलितों को लगा कि यदि यह प्रधानमंत्री हुआ तो यह भाजपा से हटकर उनके लिए काम करेगा। इसलिए नारा बुलंद किया 'अबकी बार, मोदी सरकार'। कुछ भाजपा के नेताओं ने मोदी की लहर को भाजपा लहर बताया, ये गलत था। लोगों में मोदी के प्रति आस्था बनी रही। नतीजतन 272 के लक्ष्य के जगह पार्टी को 282 का आँकड़ा हासिल हुआ।

भारत का संविधान निकम्मा साबित हुआ है। संविधान में अछूतप्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसके पालन के लिए कानून भी बनाए गए हैं। लेकिन यह प्रथा 70 वर्ष के बाद आज भी चल रही है। हर्ष मान्दर ने एक लेख में लिखा है -'दस राज्यों में ग्रामीण इलाके के ये अछूत प्रथा के अध्ययन के दौरान हमलोगों ने पाया कि आज भी तीन में से एक और कहीं-कहीं तो दो में से एक स्कूल में दलित बच्चों को क्लास में पीछे अलग बैठाने के लिए तथा दूसरी पंक्ति में अलग थाली में खाना खाने के लिए बाध्य किया जाता है। कुछ शिक्षक इन बच्चों से फर्श और शौचालय भी साफ कराते हैं जो ऊँची जाति के बच्चों से नहीं कराया जाता।' अछूत प्रथा का प्रचलन का आलम यह है कि महाराष्ट्र के शारदा गाँव के 17 वर्ष के दलित बालक की हत्या इसलिए हुई कि वह ऊँची जाति की एक लड़की से बात करने की हिम्मत की थी। यह संविधान की कमजोरी थी कि उसने अछूतपन को तो गैर कानूनी किया लेकिन जातिप्रथा को अक्षूण्ण रखा, उसे गैर कानूनी घोषित नहीं किया। यह एक धोखा था कि संविधान व्यक्ति और राष्ट्र से सीधा संबंध मानता है लेकिन इन दोनों के बीच के जाति प्रथा के चरित्र को छोड़ दिया। इसी के साथ न्याय व्यवस्था के खोखलापन का खुलासा पटना हाईकोर्ट के 16 अप्रैल 2012 के फैसला से होता है। बिहार के जहानाबाद के बयानी टोला में 23 दलितों की नृशंस हत्या हुई थी। यह सवर्ण जाति के रणवीर सेना द्वारा हुआ था। इसमें 11 महिलाएँ, 6 बच्चे और 4 जवान मारे गए थे। पटना हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष करार देकर रिहा कर दिया।

आजाद भारत के कर्ताधर्ता ने भारत के नवनिर्माण की योजना बनायी। इस योजना का नाम समाजवादी रखा गया और लक्ष्य गरीबी दूर कर देश की सारी आबादी को नागरिक बनाना था। इसके लिए प्रचलित सेक्टर को विकास का अग्रदूत बनाया गया और उद्योगों की तरक्की के मारफत देश को पश्चिम के देशों की तरह जातिविहीन और दरिद्रविहीन करने का सपना संजोया गया। उद्योगपतियों को सभी तरह की सुविधा मिली और कारखाने के मजदूरों को खाद्य पदार्थ की लगातार पूर्ति के लिए हरित क्रांति देश के एक हिस्से में किया गया। इस पार्टी की शासन व्यवस्था ने योजना आधारित विकास का तिरस्कार कर बाजार आधारित आर्थिक विकास को आगे बढाया। सब मिलाकर यह पूरा प्रयास पूँजीवाद को बढ़ाने वाला साबित हुआ है। साथ ही काँग्रेसी सरकार ने आर्थिक नवनिर्माण की सारी प्रक्रिया एक वर्गीय समाज के ढाँचें को ध्यान में रख कर किया। यह सरासर गलत था। एक बड़ा अर्थशास्त्री प्रो. अशोक रूद्रा ने एक लम्बा लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का सामाजिक धरातल जाति व्यवस्था से बना है और इसकी समाप्ति के अभी कोई आसार नहीं हैं। उन्होंने लिखा है कि यदि यूरोप के इतिहास को जाति व्यवस्था के नजरिये से व्याख्या करें तो यह हास्यास्पद होगा। ठीक उसी तरह भारतीय व्यवस्था को वर्गीय फ्रेमवर्क में समझना गलत होगा। जाति प्रथा और सामन्तवादी प्रथा एक नहीं है।

पहला भारत में और दूसरा यूरोप में पाया जाता है। भारत के कर्णधारों ने इस देश के नवनिर्माण का रास्ता वर्गीय समाज के फ्रेम में पूँजीवादी व्यवस्था के मारफत ढूंढना चाहा जो गलत था। जातीय साम्राज्य के उपेक्षित समूहों को समान नागरिक बनाने के लिए निम्न प्रकार की संस्था और नीति की जरूरत होती है। सवर्ण जातियों की सत्ता पर एकाधिकार ने यह नहीं होने दिया। डॉ. अम्बेडकर जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते थे, कांशीराम ने दलितों की पहचान और गरिमा के लिए जाति प्रथा की मजबूती पर जोर दिया था। विकास योजना का दलित विरोध होना लाजिमी है।

दलितों द्वारा समान नागरिक का दर्जा हासिल करने के भारत की समसामयिक परिस्थिति में दो बातों पर ध्यान देने की जरूरत हैं। पहला, दलितों का कोई ऐसा राजनीतिक संगठन जो इसके सदस्यों को एक सूत्र में बाँधकर अपनी खोयी हुई मानवीय गरिमा और नागरिक अधिकार के लिए निर्णायक संघर्ष के लिए एकजूट हो, ऐसा अभी सामने नहीं है। स्वार्थी दलित नेता यह नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आज देश की पूरी राजनीति सिद्धांतविहीन है। इतिहास का अन्त तो नहीं हुआ है लेकिन भारत के तथाकथित प्रगतिशील लोग वर्गीय आंदोलन के मारफत दलितों के लिए समान नागरिकता का दर्जा नहीं दिला सकते हैं। इन परिस्थितियों में उदित राज का यह सुझाव कि दलितों को भाजपा में शामिल होना चाहिए, सकारात्मक सोच मालूम पड़ता है। पिछले 70 वर्षो के दौरान किसी पार्टी ने सामाजिक समता के लिए उपयुक्त योजना का पालन नहीं किया। शुरूआती दौर में काँग्रेस ने समाजवाद के नाम पर दलितों और पिछड़ों को धोखा दिया। बाद के दिनों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को गरीबों के खिलाफ किया है। समान नागरिक का स्तर दिलाने के लिए दलितों को न केवल बराबर का वोटिंग अधिकार चाहिए बल्कि आर्थिक और सामाजिक बराबरी भी चाहिए। काँग्रेस और भाजपा दो ही राष्ट्रीय पार्टियाँ है, इसलिए भाजपा पर खास कर मोदी जैसे नेता के नेतृत्व में दलितों के पक्ष में भरोसा करना उपयुक्त है। उदित राज की यह राजनीतिक समसामयिक संदर्भ में ठीक है, अब निर्भर करता है कि मोदी किस हद तक अपने वादे को सफल बनाने में भाजपा को अपनी ओर राजी करते हैं। इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं।

21 वीं शताब्दी दलितों के लिए अधिक नाजूक होने वाला है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, भारत की योजना है कि वह विश्व व्यवस्था में उत्तरोत्तर शरीक होता जाए। ऐसा करने से देश के विकास का ध्यान दलितों और गरीबों से हटकर बाहरी सम्पर्क में लगेगा। दूसरा, चारों ओर से जोर पड़ रहा है कि भारत जोरों से औद्योगिक विकास करे और दूसरे देशों की पूँजी का स्वागत करें। इसका मतलब है कि भारत पूँजीवादी व्यवस्था को सुदृढ करे। ऐसे में दलितों के पुनर्निर्माण के लिए जिन संस्थाओं और नीतियों की जरूरत होगी, उसकी अनदेखी होगी। सामान्यतः यह माना जाता है कि आर्थिक विकास से लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन अनुभव बतलाता है कि दोनों का सहयोग हर परिस्थिति में सामाजिक न्याय लाने में एकसाथ काम नहीं करता है। थोमस पीकेटी ने अपनी विश्वविख्यात पुस्तक 'सौवीं सदी में पूँजी' में लिखा है कि 'सही लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की अपनी-अपनी अलग संस्थाओं की जरूरत होती है। न तो बाजार व्यवस्था, न सिर्फ संसद और न ही दूसरी लोकतांत्रिक संस्थाएं' सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकती है।

अभी तक जितने सलाह नयी सरकार को मिल रहे हैं, वह पूँजी बढ़ाने और उत्पादन में इसे लगाने संबंधी है, मजदूरों, खासकर मेहनतकश जातियों का क्या होगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। पिछली हजारों वर्षो का इतिहास है कि जाति प्रथा को नष्ट करने का कोई निर्णायक संघर्ष नहीं हुआ। आजाद भारत का अनुभव है कि दलित संगठन अकेले दलितों और पिछड़ों को समान नागरिकता का दर्जा नहीं दिला सकता है। क्योंकि इसके साथ आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने का शर्त है। आगे आने वाले दिनों में आर्थिक गैर बराबरी बढ़ेगी और विकास का लाभ मेहनतकशों (मजदूरों) को न जाकर पूँजीधारकों को जाएगा। ऐसी परिस्थिति में यह उचित है कि दलित समूह मोदी जैसे भाजपा के नेता के साथ अपना सहयोग बढ़ाये।

नरेन्द्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना भारत के इतिहास का एक नया मोड़ है। यह एक अप्रत्याशित घटना है। इसे नरेन्द्र मोदी ने अकेला सम्पन्न किया है। यद्यपि पार्टी की घोषणा को नजरअंदाज नहीं किया

शेष पृष्ठ 5 पर...

ARAKSHAN BACHAOO SAMMELAN

R. K. Kalsotra

R.S.PURA 26.07.2014: On the occasion of one day Arakshan Bachaoo Sammelan organized by The All India Confederation of SC/ST/OBC Organizations (R.S. pura unit) on 26th of July 2014, the core cadre of the Confederation and various social, political and religious people from all parts of the RS Pura constituency participated and shared their immensely innovative and valuable knowledge to introspect and to make strategies for mobilizing the resources to maximum limit, to involve almost every single person belonging to SC/ST/OBC categories to sustain the cause that the Confederation has been espousing for, the protection of Constitutional rights provided for them. The Sammelan was presided over by the State President of the Confederation Mr. R. K. Kalsotra.

In today's Sammelan, were discussed wide ranging issues concerning the national and state affairs Sh. R.K. Kalsotra while addressing the participants, stressed upon unity, paying back to society, spirit of sacrifice and strengthening the support system of the Confederation.

R.k. Kalsotra stressed that the deprived sections of the society particularly SC/ST/OBC's must be allowed to participate in the private business houses by providing them reservation and then only can an era of inclusive growth can usher. Criticizing the dual structure of the political spectrum in the J&K where the central laws have to wait for decades to be implemented. He apprised the gathering that in J&K reservation for SC started in 1970 & for ST & OBC in 1991.He warned the Govt to implement the 77th , 81st , 82nd, 85th Amendments immediately. He called upon the participants to get ready for the rally by the Confederation in September-October at Jammu for the upcoming assembly elections in the state to throw the tyrannical rule of the incumbent coalition for having deprived the SC/ST/OBC's of the state to achieve its oblique motives.

Mr. Kalsotra, while speaking on the occasion, said that he gave the slogan "Jo hamari reservation protect karega vo J&K me Raaj Karega" before the Assembly election. He, however, said that the Confederation will still give a final chance to the incumbent government specially Congress to accede to their demands. Moreover, he asked the people belonging to these depressed sections, particularly the youth and the students, to come together and to work for getting into the services in government as well as in private sector owing to the fact that their forefathers were poor landless laborers who had no option but to serve the higher communities. He said that few can sacrifice for the cause of the community and after Dr. Ambedkar, Dr. Udit Raj is the only one. He said that despite the application of article 370 in the state, the state unit has many achievements to its credit like Reservation Act, One step up reservation, Inter District reservation, etc. However, the state government has consistently been working day and night to defeat the constitutional rights of these communities by launching surrogate litigations against people from these communities and then not defending such matters promptly which leads to deprivation of all the constitutional guarantees like Reservation in recruitment, Reservation in promotion, Reservation I professional institutions, catch up rule are challenged in the High court. He asked the State Government to defend all these cases in the court and to stop implementation of catchup Rule. Mr.Munshi Ram Bangotra said that even now capital resources among these communities are lacking and the only way out is to enter into the services and that is why it becomes all the more important that we attain highest possible education to remain in the race for survival. Moreover, big business houses are at the command of higher communities who are hesitant to employ even the most intelligent candidates from these communities, as such, reservation is urgently needed in the private sector so that our progeny is not left to starve. Dr D. D Shivgotra criticizing the statement of the vice chancellor of SMVDU where he said that the reservation promotes inefficient people, he asked the government to dislodge such a man who does not believe in the constitutional schemes . Sham Lal Masha called upon the government to. establish Dr. Ambedkar Chair in the University of Jammu.Sh Darshan Balmotra State Coordinator Confd & In charge R.S.Pura who organised the Sammelan appealed the delegates to prepare the masses of the area for the proposed big rally in Jammu. Others who spoke in the Sammelan were ND Rajwal, Sarpanch Bahdur Lal, Des Raj Teagi, Shham Lal Bhagat, Sanjeev Manmotra, R K Teagi, BS Jamwal, Charan Dass Nagalia,Greeb Dass & others.

Dr. Udit Raj presides over the co-ordination meeting with the senior officials of Delhi Jal Board to Solve the water related problems of North West Delhi

New Delhi, 08th August, 2014 : Dr Udit Raj today presided over the coordination meeting with the senior officials of Delhi Jal Board and Senior Party officials at his Residence, T-22, Atul grove Road to discuss and solve the water related problems of the North West Delhi. Dr.Raj instructed the officials to immediately look into the maintenance of pipelines, solve the problems related to leakages, check the complaints related to corruption and sternly asked them to heed to the complaints of the local residents.

Shri Gugan Singh, MLA from Bhawana raised the issue of massive leakages in the area reportedly which has filled up a pond. Dr. Raj reacting to this, asked the officials to submit the report regarding the expenditure of money on various maintenance projects in the last one year. Dr. Raj also asked the officials to submit the schedule of water tankers for the next one month so that he can personally monitor the problems related to water tankers.

Mr. R.S. Negi, Chief Engineer, Water Project , Mr. R.S. Meena, Chief Engineer , West, Delhi Jal Board were among the senior officials present at the meeting. The meeting was attended by 18 other senior officials of Delhi Jal Board , Councillors of the area and Senior Staff members Mrs. Rekha Vohra and Mr. CP Soni from Dr. Udit Raj's office.

The meeting is a part of series of meetings Dr. Udit Raj has planned in order to solve the problems related to the basic amenities of North West Delhi.

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 17 ● Issue 18 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 1 to 15 August, 2014

Dr. Udit Raj can leave an imprint on the sands of time

H. L. Dusadh

Friends,

I met Dr. Udit Raj on the Ist August, 2014, in the evening. Although I had congratulated him on the phone a few weeks back on his election as Member of Parliament but I had not been face to face with him. About two weeks back, I called on him at his residence . There was a large number of visitors at his house as is if he was a Minister rather than a Member of Parliament. As Dr. Udit Raj had gone to his constituency, I was not lucky to meet him. Day before yesterday, I again went to his place to meet him but this time also he was not at his residence as he had gone to the Parliament. Just when I was about to leave after waiting for five minutes, I found that he had come. On seeing me, he welcomed me affectionately and took me to his office. After accepting my felicitations, he went to have a wash and then returned after about 10 minutes. For about half an hour, I had a glimpse of his experience as a Member of Parliament and his views on the present problems being faced by Dalits. During this period, his PA and OSD also came.

I had very few meetings with Dr. Udit Raj in the past due to which I had not got any opportunity to see and know his views closely . As such, I was not very much impressed by his personality. In the past, I had shared a platform with him on three or four occasions. But last year on the occasion of 'Mahishasur Martyurdom Day ' function arranged by JNU, I had the opportunity to listen to his presidential address which drastically changed my mindset about him. On the dais, besides myself, there was another personality, whose name I would not like to mention here but who was considered ten times more powerful in oratory than Shri Atal Behari Vajpayee. This person was not only a great orator but a great critic of history even though of late I was fed up with his stereotyped thinking. I felt pity on his remarks about Mahishasur but I was also not very sure whether the Chief Guest of the programme, Dr. Udit Raj could speak so well on this topic and even better than him. But it was a pleasant surprise to know that he not only spoke better than him and he slightly deviated from the main topic and spoke on globalization and exposed the hollowness of the mindset of the other speaker. His statement " Dusadh Ji, people who keep on writing on the topic of Diversity can be compared to the topic of LPG (liberalization, privatization and globalization) was more interesting. After one month of this programme, at the same place, the 8th Diversity Day was organized and he was invited as a special guest and he did come.

I did not invite him for the first time on the platform of my organization as he had praised my writings in JNU. The reality is that the manner in which he spoke with great confidence and alacrity at the Mahishashur Martyrdom Programme in the presence of some eminent personalities was beyond my expectation. After participating in social and political campaigns for years, Dr. Udit Raj has become fully mature and self-confident. Such a person should now enrich Bahujan Diversity Forum. It is for this reason that he was invited at the 8th Diversity Day and now efforts are on to invite him for the 9th Diversity Day proposed to be held in August or September, 2014.

After listening to his experience as a Member of Parliament, I felt that he is not satisfied with just being an MP but he wants to create a special niche for himself in this capacity. For this purpose, he wants to do some unique things for the people of his constituency so that he can move among them with his head high. I asked him that the BJP was full of stalwarts and being an MP of the ruling party, had he got an opportunity to raise the issues pertaining to Dalits? His reply was that he has certainly got some opportunity. During the conversation, he pulled a paper from his drawer and gave it to me. This paper related to Parliament activities and after going through it, I could not resist the temptation of again shaking hands with him and congratulating him. On the 23rd July, 2014, in the evening, he drew the attention of the Lok Sabha Speaker to the Finance Minister's budget speech in which there was a provision of 16 and 7.5 % respectively under the SC/ST Plan . More than this, he raised the question whether this amount will be spent by the State Government or the Central Government. He had a strong objection to this money being spent by the State Government. He alleged that all the State Governmens are feudal and anti-Dalit. Normally anti-reservation is done by social and political organizations but in Uttar Pradesh, this job has been done by Uttar Pradesh Government. We have, therefore, no faith in the State Governments. Therefore this money should be spent by the Social Justice and Empowerment Ministry of the Govt. of India. On the same Dr. Udit Raj said that the OBC Commission is toothless and it has to be empowered like SC and ST Commissions and the Honble Minister for Social Justice and Empowerment should get this job done. On the same day he said another important thing quoting Modi Ji "My destiny is to do what could not be done" . Our Prime Minister had said on March, 2014 at Lucknow that the coming decade belongs to Dalits, Backwards and Adivasis and I do feel that it will so happen but the members sitting on the opposition benches bardly did in this regard in the last 55 years that they were in power to make us capable for that to reach Parliament without reservation.

Friends, day before yesterday during my meeting with him when I came to know about the untouched aspects of his personality, it appears that because of his campaigns and efforts, Dr. Udit Raj will fully discharge his responsibilities towards the deprived sections of the society and will do his best to raise their issues and we extend our best wishes to him.

Dr. Udit Raj's speech on the Delhi budget in Lok Sabha

New Delhi, 31st July, 2014 : Dr. Udit Raj on Wednesday spoke about the aDelhi Budget in Lok Sabha and thanked the Hon. Finance Minister for presenting a budget that has pragmatically focused on the areas that require maximum attention in Delhi. "He has not only paid enough attention on Delhi's development in the Delhi budget but also in the central budget, Allocation of 500 crores for solving the water crisis in Delhi will give a major relief to people in Delhi", Dr. Udit Raj said. Dr. Raj mentioned that North West Delhi is the most backward constituency in Delhi and the provision of setting up a medical college in Rohini shall majorly empower the constituency in the field of education and healthcare. He added that it is shameful that it is only after the end of congress regime that a medical college is being opened in my constituency. Dr. Raj requested Hon. Finance Minister to consider the constituency's demand of extending the metro to the areas of Nangloi, Kutubgarh, Bhawana etc. He said if the metro can be extended to Faridabad, Haryana and Palval, Cant it be extended to the areas of North West Delhi? Further he also said that the LAL DORA region was extended 35 years ago but today the population there has doubled and they are living in very congested houses. Therefore, the Lal Dora region must be extended. Further with regards to the regularization of around 800 colonies, He said that the High Court has already directed that even if colonies have not been regularized, they must be provided with the basic amenities. He said that if the people have the right to be born, then they also have a right to live somewhere. North West Delhi has a lot of abandoned land, there is a lot of scope for foreign investment, I request the Central Government to look into this and put the vacant lying land into productive use, he added.

Finally, he said that the provisions of 20 new proposed schools, introduction of 1380 new low floor buses, establishment of community toilets in JJ colonies will hugely benefit Delhi and take us towards the path of long term development.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Karn